प्र0क0 125/17

न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग 2, भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष—: शरद जायसवाल)

व्य0प्रक0क0— 125 / 17 संस्थित दिनांक 31.7.2017

कोमल सिंह पुत्र स्व0 पुनू सिंह यादव आयु 60 वर्ष व्यवसाय– कृषि निवासी– ग्राम डिडी खुर्द तहसील एवं जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादी / आवेदक

विरुद

- माखन सिंह यादव पुत्र जगमोहन सिंह यादव
 उम्र लगभग 35 वर्षव्यवसाय कृषि
- 2— राकेश सिंह यादव पुत्र जगमोहन सिंह यादव आयु लगभग 40 वर्ष व्यवसाय— कृषि
- 3— चन्द्रजीत सिंह उर्फ नेपाली पुत्र जंगनारायण आयु 32 वर्ष लगभग, व्यवसाय— कृषि, समस्त निवासीगण ग्राम डिडी खुर्द परगना व जिला भिण्ड म०प्र0.....आदि।

.....प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

आदेश (आज दिनांक 8.3.2018 को पारित)

- 01— इस आदेश द्वारा वादी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत आई.ए.एन.1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2. एवं धारा 151 सि.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 3— वादी का आवेदन इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क0 234 रकवा 0.05 हैक्टेयर ग्राम डिडी परगना व जिला भिण्ड में स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 20.5.1997 को श्रीराम से 6000 रूपये प्रतिफल देकर खरीदा है। दिनांक 22.9.2014 को वादी के स्वामित्व व कब्जे की निस्तार की जगह पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 खुदायी करने लगे। जब वादी ने उन्हें रोका तो वे लड़ाई पर आमादा हो गये। वादी ने अपने आधिपत्य की रक्षा के लिए दं0प्र0सं० की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही भी की थी। उसके पश्चात् प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने दिनांक 20.7.2017 को विवादित भूमि पर रखे हुए वादी के छप्पर को गिरा दिया। वादी

वादोक्त जगह पर 20 वर्षों से काबिज है। प्रतिवादीगण उसे बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

4— प्रतिवादीगण का जवाब आवेदन इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण अपनी आराजी पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। वादी का उसके सह हिस्सेदारों से विवाद है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी गण के विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। विवादित जगह पर वादी का मकान व गोड़ा नहीं बना हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है। अतः वादी का आवेदन निराधार होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

5— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:—

- (अ) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- (ब) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी ?
 - (स) क्या सुविधा का संतुलन का वादी के पक्ष में है ?

//विचारणीय बिंदु कमांक 01 की विवेचना//

सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है अर्थात् क्या वादी / आवेदक द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गूण दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण की ओर से माखन सिंह यादव ने अपना शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम डिडी परगना व जिला भिण्ड स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 234 रकवा 0.05 हेक्टेयर के स्वत्व घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया है। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अवलोकन से दर्शित है कि वादी ने आराजी क0 858/2 रकवा 0.05 जिसका वर्तमान में सर्वे नंबर 234 है, को विकेता श्रीराम से दिनांक 20.5.1997 को क्रय किया है और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। कब्जे के संबंध में उभयपक्ष के कथन विरोधाभाषी है। जिससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। वादी द्वारा एस०डी०एम० न्यायालय की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त आदेश पत्रिका का संबंध वादोक्त भूमि से है। जब कि वादी द्वारा आवेदन के समर्थन में खसरा वर्ष 2016–17 की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि आराजी क0 234 के रकवा 0.05 भाग पर वादी कोमल सिंह का कब्जा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

प्र0क0 125/17

//विचारणीय बिंदु कमांक 02 व 03 की विवेचना//

- 7— जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन का है कि यदि वाद लम्बन के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गयी तो किस पक्ष को सबसे ज्यादा असुविधा होगी। वादी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल रहे हैं। इसके विपरीत अस्थायी निषेधाज्ञा देने से प्रतिवादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति एवं असुविधा होना भी दर्शित नहीं है। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत भी वादी/आवेदक के पक्ष में पाया जाता है।
- 8— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के सिद्धांत वादी के पक्ष में पाया जाता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सि0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेशित किया जाता है —

"प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 को आदेशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निराकरण तक सर्वे क0 234 रकवा 1.20 हेक्टेयर में से वादी के आधिपत्य के 0.05 हेक्टेयर में हस्तक्षेप न स्वयं करे न करावें।

- 9— यह आदेश वाद के अंतिम निराकरण तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
- 10— इस आदेश का वाद के अन्तिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 11- उभय पक्ष स्वयं आवेदन का व्यय वहन करेगें।

मेरे बोलने पर लिखा गया

स्थान— भिण्ड दिनांक—..... सही / — शरद जायसवाल प्रथम सिविल जज वर्ग 2 भिण्ड म0प्र0